

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

म  
द्व

राजस्थान सरकार  
जरिये पटवार हल्का - बरेव

वहक श्री प्रति जन्डी  
पुत्र श्री पुनराश  
जाति बागोडा नि बरेव  
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

मुकदमा नं. 30 / 2018

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम बरेव खसरा नम्बर 755  
रकबा 0.05 हैक्टर किसम जि. गोदर (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री जन्डी  
पुनराश जाति बागोडा निवासी बरेव (जिसे  
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बागोडा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का  
अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी का नोटिस लाभिल भुगत प्राप्त जो आक्रिम

मिसल है. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर  
किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेव  
ख.न. 755 रकबा 0.05 किसम जि. गोदर पर संवत् 2075 में बिना विधिक  
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बागोडा कर अतिक्रमण किये  
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते हैं कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज वहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया उरु प्रात है का 50 गुणा रूपया 8/5  
(रूपये आठ रूपया) शास्ति  
कायम की जाती है।

क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेव निर्णय की  
बागोडा एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।  
भु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

2018-11

श्रीका 08/11/18  
पत्र 08/11/18  
मिसल 08/11/18

तहसील बागोडा

दाव

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)